रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042024-253819
CG-DL-E-23042024-253819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1680] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2024/वैशाख 2, 1946
No. 1680] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2024/VAISAKHA 2, 1946

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2024

का.आ. 1767(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 539 (अ), तारीख 02 फरवरी, 2023, जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 02 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 125.03 एकड़ (लगभग) या 50.59 हेक्टेयर (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विहित की गई उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट 125.03 एकड़ (लगभग) या 50.59 हेक्टेयर (लगभग) माप की उक्त भूमि में के या उस पर के सभी अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण - 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्या आरईवी/06/2023, तारीख 25 अक्तूबर, 2023 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला – रामगढ़ (झारखंड) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल, कोर-2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092 के कार्यालय में अथवा महाप्रबंधक कुजू क्षेत्र, जिला – रामगढ़ (झारखंड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस,

राँची (झारखंड) – 834001 या मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण विभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची (झारखंड)– 834008 में किया जा सकता है।

टिप्पण - 2: उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :-

"8. अर्जन की बाबत् आपत्तियां – (1) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिनों के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएँ करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएँ केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी अपत्तियों को सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफ़ारिशों और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा, जो प्रतिकर में हित का दावा करने को हकदार होता, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते। "

टिप्पण - 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं मंजिल, कोर-2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2518, तारीख 27 मई, 1983, जो भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गई थी, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

पुंडी ओसीपी

जिला रामगढ़ (झारखण्ड)

[रेखांक धारक संख्या आरईवी/06/2023, तारीख 25 अक्तूबर, 2023]

सभी अधिकार:

ब्लॉक	ग्राम	थाना सं.	अंचल	जिला	अर्जन के अधीन रकबा		अभ्युक्ति
					एकड़ में	हेक्टेयर में	
ए	मांडू	114	मांडू	रामगढ़	124.28	50.29	भाग
बी	हेसागढ़ा	122	मांडू	रामगढ़	0.75	0.30	भाग
अर्जन के अधीन कुल रकबा (ए +बी)					125.03 एकड़ (लगभग)	50.59 हेक्टेयर (लगभग)	

पुंडी ओसीपी के लिए अर्जन के अधीन प्लॉटों के ब्यौरे:-

ब्लॉक –ए : ग्राम – मांडू :

प्लॉट संख्या - 2324(भाग), 2325(भाग), 2336(भाग), 2337(भाग), 2338(भाग), 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349(भाग), 2652(भाग), 2654(भाग), 2659(भाग), 2660, 2661 और 2718(भाग).

ब्लॉक – बी : ग्राम – हेसागढ़ा :

प्लॉट संख्या – 7 (भाग).

सीमा वर्णन :

ब्लॉक	सीमा रेखा	सीमा वर्णन
ए	क – ख – ग – घ – ङ –च – छ – क.	रेखा बिन्दु ‘क’ से आरंभ होकर बिन्दु ख, ग, घ, ङ, च, और छ से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु ‘क’ पर मिलती है।
बी	ज – झ – ञ – ज.	रेखा बिन्दु ‘ज’ से आरंभ होकर बिन्दु झ और ञ से गुजरते हुए आरंभिक बिन्दु ‘ज’ पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/18/2022-एलएआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2024

S.O. 1767(E).—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Coal number S.O 539 (E), dated the 2nd February, 2023, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) , published in the in the Gazette of India, part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 2nd February, 2023, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 125.03 acres (approximately) or 50.59 hectares (approximately) of the land in the locality specified in the schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 125.03 acres (approximately) or 50.59 hectares (approximately) and all rights in or over the said lands as described in the schedule appended hereto;

Note - 1: The plan bearing number Rev/06/2023, dated the 25th October, 2023 the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, District Ramgarh (Jharkhand) or at the office of the Coal Controller, Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, SCOPE MINAR, 5th Floor, Core – II, Laxmi Nagar, Delhi – 110092 or at the office of the General Manager, Kuju Area, District Ramgarh, Jharkhand or General Manager (Land and Revenue), Central Coalfields Limited, Darbhanga House,Ranchi-834001, Jharkhand or General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834008, Jharkhand.

Note - 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:-

“8. Objections to acquisition.- (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

EXPLANATION.-It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and

shall after hearing all such objections and after making such further inquiry if any, as he thinks necessary either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceeding held by him, for the decision of the Government.

(3) For the purposes of the section, a person shall be deemed to be interested in land, who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note - 3: The Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, SCOPE MINAR, 5th Floor, Core – II, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 2518, dated the 27th May, 1983 published in part II, section - 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

PUNDI OCP

DISTRICT- RAMGARH (JHARKHAND)

[plan bearing number Rev/06/2023, dated the 25th October, 2023]

All Rights:

Block	Village	Thana No.	Circle	District	Area under acquisition		Remarks
					In acres	In hectares	
A	Mandu	114	Mandu	Ramgarh	124.28	50.29	Part
B	Hesagarha	122	Mandu	Ramgarh	0.75	0.30	Part
Total Area under acquisition (A+B) :					125.03 acres (approximately)	50.59 hectares (approximately)	

Details of Plots under acquisition for Pundi OCP:
Block - A : Village – Mandu:
Plot numbers- 2324(P), 2325(P), 2336(P), 2337(P), 2338(P), 2339,2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349(P), 2652(P), 2654(P), 2659(P), 2660, 2661 and 2718(P).

Block - B : Village – Hesagarha:
Plot number - 7(P).

Boundary description:

Block	Boundary Line	Boundary Description
A	A – B – C – D – E – F – G – A.	Line starts from point 'A' and passes through points B, C, D, E, F and G and meets at starting point 'A'.
B	H – I – J – H.	Line starts from point 'H' and passes through points I and J and meets at starting point 'H'.

[F. No. 43015/18/2022-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.23 18:48:59 +05'30'